



प्रेस नोट

दिनांक 11.03.2025

06 अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना कोतवाली नगर, जलालपुर, राठ व थाना मौदहा से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अभियुक्त- दानिश पुत्र शहजाद निवासी मु0 ईदगाह के पास, कस्बा हमीरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर, दिनांक 18.02.2025 से 06 माह।
2. अभियुक्त- कल्लू सोनकर उर्फ ललजी पुत्र कृष्णपाल , निवासी मु0 पुराना बेटवाघाट कस्बा हमीरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर, दिनांक 21.02.2025 से 06 माह।
3. अभियुक्त- सुनील कुशवाहा पुत्र रमेश कुशवाहा निवासी ग्राम रीवन थाना कोतवाली मौदहा जनपद हमीरपुर, दिनांक 18.02.2025 से 06 माह।
4. अभियुक्त- अनिल यादव पुत्र कल्लू यादव निवासी गुरदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, दिनांक 20.02.2025 से 06 माह।
5. अभियुक्त- इस्तियाक पुत्र इस्ताक पुत्र सुबराती निवासी जुगयाना कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 27.02.2025 से 06 माह।
6. अभियुक्त- समर रिजवी पुत्र कज्जन्न अली निवासी ग्राम ममना थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर. दिनांक 27.02.2025 से 06 माह।